झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा — द्वितीय (बजट) सत्र

संख्या-02 — सोमवार, दिनांक-02 मार्च, 2020 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.30 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

आसन से प्रश्नकाल पुकारा गया, लेकिन इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य अपने-अपने हाथों में स्लोगनयुक्त पोस्टर लिये हुए सदन की वेल में आकर अपनी माँगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। आसन द्वारा बार-बार उन्हें अपने-अपने स्थान पर जाने हेतु आग्रह किया जाने लगा, परन्तु नारेबाजी जारी रही। आसन द्वारा उन्हें कहा गया कि दबाव देकर कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता है। लेकिन, वे अपनी माँगों पर अड़े रहे। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.07 बजे पूर्वा० से लेकर 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

स्थगनोपरांत

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

आसन से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पुकारी गयी।

(इस अवसर पर पूर्व की भाँति भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर पुनः सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

1.शून्यकाल:-

आसन से पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल की सूचनायें पढ़ी गयी-

श्री दशरथ गागराई,
श्री उमाशंकर अकेला,
श्री बंधु तिर्की,
श्री लोबिन हेम्ब्रम,
श्री विनोद कुमार सिंह,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्री सोनाराम सिंकू,
सुश्री अम्बा प्रसाद।

माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी अनुपस्थित रहे तथा माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा की सूचना पढ़ी हुई मान ली गयी।

2.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

आसन से ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव पुकारा गया, परन्तु विपक्ष द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी करते रहने के कारण सूचनायें नहीं ली जा सकी।

(कृपया पृष्ठ उल्टें)

3.सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

आसन से पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चम्पाई सोरेन (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) द्वारा झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन-2018-2019 सभा पटल पर रखा गया।

4.वित्तीय कार्य:-

i- पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त), श्री रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष-2019-20 सदन पटल पर उपस्थापित किया गया जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ,

ii- माननीय मंत्री (वित्त), श्री रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड सरकार का **"राज्य के वित्त एवं विकास पर श्वेत-पत्र-2020"** सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

5.आसन से घोषणा:-

आजसू पार्टी से आसन को प्राप्त सूचना के आलोक में दिनांक-13.02.2020 को उनकी पार्टी की बैठक में माननीय सदस्य, श्री सुदेश कुमार महतो को विधायक दल का नेता चुना गया जिन्हें मान्यता दिये जाने की घोषणा आसन से की गयी।

6.वित्तीय कार्य(क्रमांक-4 से जारी):-

वित्तीय वर्ष-2019-20 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित माँग "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" माननीय प्रभारी मंत्री (वित्त), श्री रामेश्वर उरांव द्वारा आसन के निदेश से प्रस्तुत किया गया जिसपर माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री भानु प्रताप शाही ने सदन में नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने सम्बन्धी व्यवस्था के प्रश्न पर आसन से अनुरोध किया कि यथाशीघ्र नेता, प्रतिपक्ष को मान्यता प्रदान की जाय। आसन द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि इस सम्बन्ध में प्रक्रिया चल रही है,

ii- माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे दसवीं अनुसूची का विषय बताया गया,

(इस अवसर पर विपक्ष के अधिकांशत: माननीय सदस्य पुन: स्लोगनयुक्त पोस्टर के साथ सदन की वेल में आकर अपनी माँगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे)

iii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन को आग्रहपूर्वक सूचित किया कि पिछली सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिन-जिन माननीय सदस्यों के ऊपर केस दर्ज है, उन्हें एक साथ करके सुनवाई होगी, अतएव इसपर सरकार अमल करे। साथ ही उनके केसों की सुनवाई उनके जिलों में ही हो ताकि संसदीय कार्य भी बाधित न हो और माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में ही रहकर जनता की सेवा कर सकें (इस क्रम में आसन के बार-बार आग्रह किये जाने पर माननीय विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये),

iv- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसे संज्ञान में लिया गया और नेता, प्रतिपक्ष के विषय पर स्थिति स्पष्ट करने पर तत्पर हुए, परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्य पुन: वेल में आकर शोरगुल करने

(क्र०पृ०स०)

लगे। इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह भी कुछ बोल रहे थे, परन्तु शोरगुल के कारण कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था।

7.वित्तीय कार्य(क्रमांक-06 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत माँग सम्बन्धी कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा वापस लिया गया तदुपरांत "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" की माँगें बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबंद) के माध्यम से सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

8.विधायी कार्य:-

झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2020

माननीय प्रभारी मंत्री (योजना सह वित्त), श्री रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 एवं 03, खण्ड-1, अनुसूची, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात **"झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2020"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-03 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 02 मार्च, 2020ई०।